मानव अधिकार कै विश्वव्यापी घोषणा

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र

(भोजपुरी भाषा)

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)
पो ब नं. २७२६, स्युचाटार, कलंकी
फोन नं. २७०७७० / २७८७७०, फ्याक्स नं २७०५५१

मानव अधिकार कै विश्वव्यापी घोषणा

(भोजपुरी भाषा)

भाषा अनुवाद

दिनेश त्रिपाठी

सम्पादन/संयोजन

नरनाथ लुइँटेल

देवी बाँस्कोटा

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)

कलंकी, स्युचाटार- पोष्टबक्स नं २७२६

फोन नं. २७०७७०/२७८७७०

फ्याक्स नं २७०५५१

मानव अधिकार कै विश्वव्यापी घोषणा
(भोजपुरी भाषा)

पहिलो संस्करण : ०५४ चैत

संख्या : ४ हजार

प्रकाशक : अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)

सर्वाधिकार : इन्सेकमा सुरक्षित

मूल्य : १०।-

मुद्रक :
फुलचोकी बुक्स एण्ड स्टेशनर्सका लागि
क्वालिटी प्रिन्टर्स

भूमिका

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ग्रामीण जनसमुदायका बीचमा मानवअधिकार शिक्षा र सचेतनता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा जुटेको एउटा मानवअधिकार संस्था हो। गाउँको अभावग्रस्त जीवनसंग संघर्ष गर्दै बाँचिरहेका ग्रामीण जनताको चेतनालाई उन्नत नबनाएसम्म मानवअधिकारको संरक्षण एवं विकास हुन सक्दैन। यो काम सचेत र संगठित प्रयत्नले मात्रै सम्भव छ भन्ने अवधारणामा इन्सेक कटिबद्ध छ र आफ्ना सबै क्रियाकलापहरू यसैतर्फ केन्द्रित गरेको छ।

मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ५० वर्ष लाग्यो। यो घोषणापत्रलाई इन्सेक आफ्नो मार्गदर्शक मान्दछ। "मानव परिवारका सबै सदस्यहरूको अन्तरनिहीत मर्यादा तथा समान र हरण गर्नै नसकिने अधिकारहरूको मान्यता नै स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधार भएकोले" भनी प्रस्तावनाको थालनीमा उल्लेख्य गरेर संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वारा सन् १९४८ डिसेम्बर १० तदनुसार वि.सं. २००४ साल मंसिर २५ गते यो घोषणापत्र पारित भएको थियो। जनताको लागि आर्जन गरिएको यो घोषणापत्र मानव

जातिकै लागि अमूल्य सम्पत्तिका रूपमा रहेको छ। नेपाल यो घोषणापत्रको पक्ष राष्ट्र हो अर्थात् नेपालले पनि यसको कार्यान्वयन प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।

बिगत वर्षहरूमा मानव अधिकार घोषणा पत्रको के कस्तो सार्थकता रह्यो भनेर विश्व स्तरमै यसको समीक्षा र मूल्यांकन गर्न थालिएको छ। यसै क्रममा इन्सेकले पनि जनस्तरमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले घोषणापत्रको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने विशेष कार्यक्रम तय गरेको छ। उक्त कार्यक्रम मार्फत् ग्रामीण तहका जनसमुदाय बीच छलफल गराउने, मानवअधिकार घोषणापत्रले प्रदान गरेका अधिकारहरू जनताको दैनिक व्यवहारमा के कति सार्थक रहन सकेका छन् भनेर पहिचान गर्ने, कार्यान्वयनको तहमा रहेका बाधा र अड्चनहरू पहिल्याउने, तिनीहरूलाई हटाउनका निम्ति राज्य तथा जनस्तरबाट के कस्तो पहल एवं प्रयत्न हुनु पर्दछ भनेर निचोडमा पुग्न सहयोग पुऱ्याउने छ। यसले घोषणा पत्रको प्रचार प्रसारका साथै व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भए पनि सचेतनताको अभावमा आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न सक्दैनन्। आफ्ना हक अधिकार बारे सचेत र संगठित हुन यस किसिमको प्रयत्न फलदायी हुने आशा गरिएको छ।

यो वर्ष इन्सेक स्थापनाको १० औं वर्ष पनि हो। घोषणा पत्रको ५० औं वर्ष र इन्सेक स्थापनाको १० औं वर्ष प्रवेशको अवसर पारेर इन्सेकले नेपालमा प्रचलित लिम्बु, राई, तामाङ, गुरूङ, मगर, नेपालभाषा, अवधि, राजवंशी, भोजपुरी, मैथिली, शेर्पा र थारू जाति जनजातिका बाह्रवटा मातृभाषाहरूमा घोषणापत्रलाई रूपान्तर गरी यो रूपमा प्रकाशित गरेको छ। यस अतिरिक्त नेपाली र अंग्रेजी भाषामा पनि छुट्टाछुट्टै संस्करणहरू रहेका छन्। यसै क्रममा तयार गरिएको यो भोजपुरी भाषामा अनुदित मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र हो। यो घोषणापत्रलाई रूपान्तर गरी सहयोग पुऱ्याउनु हुने दिनेश त्रिपाठी र जाति जनजाति अनुरूप चित्र परिमार्जन गर्ने नवराज भट्टलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै पुस्तक प्रकाशनको निम्ति संयोजन तथा सम्पादन गर्ने देवी बाँस्कोटा, नरनाथ लुइँटेल एवं कम्प्युटर टाइप सेटिङ गर्ने गीता माली पनि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।

०५४ चैत

सुशील प्याकुरेल
अध्यक्ष

मानव अधिकार कै विश्वव्यापी घोषणा

१० डिसेम्बर १९४८ कै दिन संयुक्त राष्ट्र कै महासभा कै निर्णय नै २१७ (III) पारित अउर घोषित

प्रस्तावना

मानव परिवार कै सब सदस्य लोगन कै अन्तर्निहित मान अउर बराबर तथा अविछिन्न अधिकार कै मान्यता ही स्वतन्त्रता, न्याय अउर शान्ति कै आधार होए के नाते,

मानव अधिकार कै अवहेलना अउर अनादर कइले के वजह से बर्बर काम होइकें मानव जात के अन्तःस्करणमे चोट पहुँचल तथा मानव लोग कै धर्म अउर बोलेके आजादी तथा डर अउर अभाव से मुक्ति मिले के चाही यी सर्वसाधारण सब कैं इच्छा होए के नाते,

अन्याय अउर अत्याचार के विरोध में अउर उपाय नपाइके आदमी अन्तिम उपाय के रूपमे सोझै विद्रोह में न उतर पडै यह नाते मानव अधिकार कानूनी शासनद्वारा रक्षा करव जरूरी होए के नाते,

देश-देश के वीच आपसी भाइचारा अउर दोस्ती के रिश्ता बढाइव जरूरी होए के नाते,

संयुक्त राष्ट्र संघ कै जनता लोगद्वारा मौलिक मानव अधिकार के प्रति, आदमी कै इज्जत तथा सम्मान अउर औरत-मर्द कै समान अधिकार के प्रति अधिकार पत्र में अपनें विश्वास कै दोवारा पुष्टी

कइके व्यापक स्वतन्त्रता के आधार मे सामाजिक तरक्की अउर जीवनस्तर बढावें के निश्चय कइले के नाते,

सदस्य राष्ट्र लोगद्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग मे मानवअधिकार अउर मौलिक स्वतन्त्रता के प्रति विश्वभर में इज्जत बढावें एवं पालना करें कें प्रतिज्ञा कइले के नाते,

यी प्रतिज्ञा पुरा करे के खर्तिन यी अधिकार एवं स्वतन्त्रता के विषय मे साझा-समझदारी एवं जानकारी राखव बहुत जरूरी होए के कारण,

अब, यह कारणसे,

साधारण सभा घोषणा करत वाय।

सदस्य राष्ट्र तथा यी राष्ट्र के अधिकारमे रहे वाले प्रादेशिक जनता में समेत यी अधिकार अउर स्वतन्त्रता कै विश्वव्यापी तथा प्रभावकारी स्वीकृति अउर पालना के लिए हर व्यक्ति अउर समाज कै सव अङ्गद्वारा यी घोषणा के हमेशा ध्यान में रखिके राष्ट्रिय अउर अन्तर्राष्ट्रिय कदमद्वारा तथा अधिकार तथा स्वतन्त्रता के प्रति दीक्षा अउर शिक्षा के द्वारा श्रद्धा बढावें के कोशिश होय यह नाते साधारण सभा मानव अधिकार कै यी विश्वव्यापी घोषणा के सब जनता अउर राष्ट्र के लिए एक साझा मापदण्ड के रूप में घोषणा करत वाय।

सब आदमी जन्म से ही स्वतन्त्र बाटैं। यी सब कै बरावर अधिकार अउर महत्व वाय। सब आदमी के अन्दर विचार करें के शक्ति अउर सद्विचार होए के नाते सब लोग के अपने में भाइचारा के साथ व्यवहार करें के चाँही।

धारा २

जात, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनैतिक वा अउर विचार राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति वा अउर कउनो भी तरह से भेदभाव नकइके हरेक आदमी के यह घोषणा में उल्लेख कइल गइल अधिकार अउर स्वतन्त्रता कै अधिकार वाय। एकरे अलावा चाहे कौनो देश स्वतन्त्र होय वा रक्षित, स्वशासन रहित होय वा सीमित प्रभुसत्ता वाला होय वहा के आदमी लोग के वीचमें स्थिति के यी अधारमें कौनो भेदभाव नाई कइल जाई।

हर आदमी के बैयक्तिक स्वतन्त्रता अउर आत्म सुरक्षा कै अधिकार मिलल वाय।

केहुँ के भी दास नाहीं बनावल जाई। दासत्व अउर दास-दासी कैं व्यापार हर तरह सें रोक लगावल वाय।

कौनो भी व्यक्ति के यातना नाहिं दिहल जाई अउर एकरे अलावा निर्दय, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय भी केहुँ नाहिं दिहल जाई।

कानून के आँख में सब लोग के जहा भी व्यक्ति के रूप में मान्यता पावें के अधिकार वाय।

धारा ७

कानून के आँख में सब लोग बरावर होखैं अउर विना कौनो भेदभाव सब लोग कानून कैं बराबर संरक्षण पाई सकैलै यी घोषणा के तोडी के वा भेदभाव के विरूद्ध सब लोगन के बरावर संरक्षण प्राप्त होई।

सर्वोच्च अदालत

संविधान अउर कानून से दिहल गइल मौलिक अधिकार कै हनन् भइले पर समर्थ राष्ट्रिय अदालत से उपचार मिले के सब लोग कै अधिकार वाय।

धारा ९

केहुँ के भी मनमानी ढंग से देश निकाला, गिरफ्तार अउर नजरबन्द नाहिं कइल जाई।

कौनो भी आदमी के उपर लगाइल गइल फौजदारी अभियोग के विरूद्ध स्वतन्त्र अउर निष्पक्ष अदालत से निष्पक्ष अउर सार्वजनिक सुनवाई कै अधिकार सब लोग के समान रूपसें प्राप्त ह्वाय।

दण्डनीय अपराध कै आरोप लागल हरेक व्यक्ति के कानूनद्वारा बचाव के लिए सब आवश्यक सुविधा प्राप्त खुल्ला अदालत से कानून अनुसार अपराधी नठहऱ्याउले तकउ आदमी के अपराधी नाहीं मानल जाई।

कौनो भी व्यक्तिद्वारा कइल गइल कौनो काम वा त्रुटी यदि वह समय में राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा अपराध नाहीं मानल गइल वाय तो वह काम के लिए कौनौ भी आदमी के दोषी नाहीं ठहरावल जाई एकरे अलावा कौनो भी व्यक्ति के अपराध करेकें समय में दिहल जाए वाला सजाय से ज्यादा सजाय नाहिं दिहल जाई।

कौनो भी आदमी के गोप्यता, परिवार, घर अउर पत्रव्यवहार में मनमानी ढंग से हस्तक्षेप नाहिं कइल जाई। न तो केहुँ के इज्जत, प्रतिष्ठा अउर ख्याति में चोट पहुँचावल जाई। यइ किसिम कै आक्रमण अउर हस्तक्षेप के विरूद्ध हरेक व्यक्ति कै कानूनी रक्षा कै अधिकार वाय।

हरेक व्यक्ति के हरेक देश के सीवान के भितर स्वतन्त्र रूपसे घुमे-फिरे के अधिकार के अलावा निवास करे के अधिकार रही।

हरेक व्यक्ति के आपन वा अउर कौनो देश छोडि के जाए के अधिकार के अलावा फिर आपन देश में लौट के आवें के अधिकार वाय।

आरोप से वचे के लिए हरेक व्यक्ति कै दुसरे देश में शरण लेवें के अधिकार वाय।

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य अउर सिद्धान्त के उल्टा काम् अउर अराजनैतिक अपराध के दोष के लिए यी अधिकार कै प्रयोग नाहीं होइ सकी।

हर आदमी के नागरिकता कै अधिकार प्राप्त वाय।

कौनो भी आदमी कै नागरिकता मनमानी ढंगसे नाहीं छिनल जाई। अउर केहुँ के भी आपन राष्ट्रियता बदलें के अधिकार नाहीं छिनल जाई।

जात, राष्ट्रियता, अउर धर्म कै कौनो छेकवार विना सयान औरत मर्द के आपस में व्याह करेकें अउर परिवार बनावें के अधिकार वाय। व्याह, बैबाहिक जीवन अउर विवाह भंग में उ लोगोन कै बराबर अधिकार रही।

व्याह दोनो बरबधु के पुरा इच्छा अउर राजखुशी से ही होइ सकी।

समाज कै आधारभूत अउर स्वाभाविक एकाई परिवार होए के वजह से समाज और राज्य से यें के संरक्षण दिहल जाई।

हर व्यक्ति के अकेले वा केहुँ से मिलिके सम्पत्ति राखें के अधिकार वाय।

केहुँ कै भी सम्पत्ति मनमानी तरीका से नाहीं छिनल जाई।

हर आदमी कै पास विचार, अन्तःस्करण अउर धार्मिक स्वतन्त्रता कै अधिकार वाय। यह अधिकार के अन्तर्गत धर्म और आस्था बदले कै अलावा सार्वजनिक वा व्यक्तिगत रूपसे अकेलै वा समूह में आपन धर्म, दीक्षा, आचरण, पूजा अउर पालन कइकें प्रकट करें के अधिकार भी वाय।

हरेक व्यक्ति के पास विचार अउर अभिव्यक्ति कै स्वतन्त्रता वाय एकरे अलावा यह अधिकार के अन्तर्गत विना कौनो हस्तक्षेप कै राय लेवें के अउर विना कौनो रोकटोक कौनो भी माध्यम से मत पावेंके, उपयोग करेकें अउर दुसरे तक पहुँचावें के अधिकार भी वाय।

हर आदमी के पास शान्त ढंग से सभा करे के अउर संघ संस्था खोले के अधिकार वाय।

कौनो भी संस्था कै सदस्य बनें के लिए केहुँ के भी दवाव नाहीं दिहल जाई सकी।

हर आदमी के पास अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष तरीका से वा स्वतन्त्र ढंग से चुनल गइल प्रतिनिधि के द्वारा भाग लेवें के अधिकार वाय।

हर व्यक्ति के पास अपने देश के सरकारी नौकरी पावें के बरावर अधिकार वाय।

सरकार के शासन-सत्ता कै आधार जनता कै इच्छा होय। जनता कै यी इच्छा सर्वव्यापी ढंग से समय-समय पर समान मताधिकार के आधार पर होवे वाला चुनाव के द्वारा प्रकट कइल जाई। यी चुनाव निष्पक्ष अउर गुप्त मतदान से होइ।

समाज कै सदस्य के हैसियत से हर आदमी के पास सामजिक सुरक्षा कै अधिकार वाय अउर हर व्यक्ति के इज्जत अउर व्यक्तित्व तथा स्वतन्त्र विकास खातिर जरूरी आर्थिक, सामाजिक अउर साँस्कृतिक अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एवं राष्ट्रिय कोशिसद्वारा राष्ट्र कै आपन संगठन अउर साधन अनुसार पावें के अधिकार वाय।

हर आदमी के पास काम करेंके, रोजगारी छानें के काम कै उचित अउर अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करे के तथा बेरोजगारी से सुरक्षा कै अधिकार वाय।

हरेक आदमी के विना कौनो भेदभाव बराबर काम के लिए बराबर तनख्वाह पावें के अधिकार वाय।

काम करे वाले हर व्यक्ति के आपन अउर अपने परिवार के इज्जतदार ढंगसे भरण पोषण करे के लिए उचित तनख्वाह पावें के अधिकार वाय। एकरे अलावा जरूरी भइले पर अन्य किसिमकै सामाजिक सुरक्षा भी मिले के चाँही।

हर आदमी के आपन हित रक्षा करें खातिर ट्रेड युनियन खोले के अधिकार वाय।

हर आदमी के पास आराम करे के, फुर्सद पावे के अलावा काम कै निश्चित घण्टा तथा आवधिक रूपमे तनख्वाह सहित छुट्टी पावें के अधिकार वाय।

हर व्यक्ति के पास आपन और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के खातिर जरूरी जीवनस्तर कै अधिकार वाय एकरे अन्तर्गत खाना, कपडा–लत्ता, मकान, दरदवाई, विमारी तथा अउर जरूरी सामाजिक सेवा भी सम्मिलित वाय। एकरे अलावा बेरोजगारी, विमारी असमर्थता, विधवा, बुढौती वा अपने काबु वाहर से कौनो भी परिस्थिति में बेरोज़गारी कै स्थिति होइ गइले पर सुरक्षा कै अधिकार वाय।

लरिका और महतारी कै विशेष सहायता और जतन होई विवाहित वा अविवाहित महतारी से जन्मल कौनो भी बच्चा के बराबर सामाजिक संरक्षण मिली।

क ख ग

हरेक आदमी के शिक्षा पावें के अधिकार वाय। कम्ति मे भी शुरू मे वा प्राइमेरी मे शिक्षा निःशुल्क रही। प्रारम्भिक शिक्षा सब के लिए जरूरी रही। प्राविधिक अउर व्यवसायिक शिक्षा सब के लिए खुला रही तथा उच्च शिक्षा योग्यता के आधार मे सब के लिए बराबर ढंग से प्राप्त होइ।

मानव व्यक्तित्व कै पूरा विकास अउर मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रता के पोंढ बनावें खातिर शिक्षा कै प्रसार कहल जाई। अउर शिक्षाद्वारा ही राष्ट्र, जात अउर धर्म के वीच में आपसी सदभावना अउर दोस्ती कै विकास कइल जाई अउर शान्ति बढावें के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कै कोशिस अउर बढावल जाई।

अपने लरिकन के दिहल जाए वाला शिक्षा छाने के अधिकार महतारी-वाप के रही।

हर आदमी के स्वतन्त्र रूप से समाज के साँस्कृतिक जीवन मे भाग लेवें के, कला के आनन्द लेवें के अउर वैज्ञानिक तरक्की तथा विज्ञानद्वारा विकसित कइल गइल सुविधा के भोग करें के अधिकार वाय।

हर आदमी के पास अपनेद्वारा बनाइल गइल कौनो भी वैज्ञानिक वा साहित्यिक वा कलात्मक कृति से प्राप्त भइल नैतिक वा भौतिक लाभ कै संरक्षण कै अधिकार वाय।

यह घोषणा में बर्णन कइल गइल अधिकार और स्वतन्त्रता पूरा-पूरा रूपसे पावें खातिर हर व्यक्ति के पास सामाजिक अउर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कै अधिकार वाय।

हर आदमी कै समाज के प्रति कुछ कर्तव्य वाय। अइसने समाज के अन्तर्गत रही के ही आदमी कै पूरा विकास सम्भव होइ सकाला।

आपन अधिकार अउर स्वतन्त्रता कै प्रयोग करे के बखत हर आदमी के दुसरे के भी अधिकार अउर स्वतन्त्रता के मान्यता देवें के चाँही। अउर यह सम्बन्धमें प्रजातान्त्रिक समाज कै नैतिकता, सार्वजनिक सुव्यवस्था अउर सर्वसाधारण कै कल्याण खातिर कानूनद्वारा तोकल गइल सीमा ही लागू होइ सकि।

कौनो भी राष्ट्र वर्ग वा व्यक्तिद्वारा यह घोषणा में वर्णन कइल गइल अधिकार औ स्वतन्त्रता नाश करें के खातिर वा अइसन किसिम कै अधिकार वाय कहिके यह घोषणा कै व्याख्या नाईकइल जाइ सकल जाला।

इन्सेक पुस्तक - ६५ /०५४